न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 14/2019

जुम्मे खान पुत्र फूलखान जाति मेव निवासी मल्हाका तहसील पहाडी

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत पहाडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पहाडी तहसील पहाडी (भरतपुर)

असल रैस्पोडेन्ट

2. गनी पुत्र चन्दर खां नवीरा फूल खान जाति मेव निवासी मल्हाका
3. नूर मौहम्मद पुत्र चन्दर खां नवीरा फूल खान जाति मेव निवासी मल्हाका (मृत्तक)

   3/1 शहीद

   3/2 मजीद पिसरान नूर मौहम्मद जाति मेव निवासी मल्हाका तहसील पहाडी

   3/3 सहीदन पुत्री नूर मौहम्मद पत्नी फकरू जाति मेव निवासी लिहंगा तहसील पुन्हाना हरियाणा
4. जुहरू पुत्र फूल खान
5. इस्लामी पत्नी गनी जाति मेव निवासी मल्हाका तहसील पहाडी

फौरमल रैस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1817 दिनांक 30/05/1976
ग्राम पंचायत पहाडी तहसील पहाडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

1. श्री जगदीश लोधा वकील अपीलान्ट।

दिनांक :– 26/04/2024

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 2964/0.75, 2971/1.39, 2973/0.66, 2974/0.34, 2979/0.38, 2909/2559–2963/1.07 किता–6 रकबा 4.59 हैक्टर बांके कस्बा पहाडी द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 4 के पिता व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के दादा की आराजी थी जो फूल खान की फौती के बाद विरासतन अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट को प्राप्त हुई । रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत पहाडी ने जो इन्तकाल संख्या 1817 अपीलान्ट के पिता की विरासत का जो दाखिल खारिज दर्ज कराकर स्वीकार किया है उसमें बगैर फूल

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

खान के वारिसान की जाँच पडताल किये बिना ही मुझ अपीलान्ट के सही नाम जुम्मे खान की वजाय गलत नाम टुण्डा दर्ज कर नामान्तकरण स्वीकार कर लिया जबकि अपीलान्ट का सही नाम जुम्मे खान है जो अपीलान्ट के पहचान पत्र के दस्तावेजों में दर्ज रिकॉर्ड है तत्कालीन हल्का पटवारी ने बगैर नामों व वारिसान की जांच किये बिना ही बगैर अपीलान्ट के गांव मल्हाका आये पहाडी में ही गांव वालों व पडौसीयों से पूछताछ कर अपीलान्ट के सही नाम जुम्मे खान के स्थान पर गलत नाम टुण्डा दर्ज कर दाखिल खारिज स्वीकार करा लिया जिस पर पंचायत ने भी कोई जांच पडताल नहीं की लिहाजा दाखिल खारिज 1817 दिनांक 30/05/1976 काबिले खारिजी है। राज सरकार की योजनाओं के तहत प्रत्येक किसान के खातो में 6000/रूपये मिलेगे अपीलान्ट ने पहल की तो नकल जमाबन्दी लेने पर दिनांक 24/10/2019 को इल्म हुआ कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के सही नाम जुम्मे खान के स्थान पर टुण्डा गलत नाम दर्ज है। इसके बाद अपीलान्ट ने अन्य रिकॉर्ड की नकल ली । लिहाजा अपील हाजा बिना देरी व लापरवाही के पेश है। अतः अपील अपीलान्ट प्रेषित कर निवेदन है कि दाखिल खारिज संख्या 1817 दिनांक 30/05/1976 आदेश ग्राम पंचायत पहाडी को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपीलान्ट के गलत नाम टुण्डा के स्थान पर सही नाम जुम्मे खान दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया । रैस्पोडेन्टस बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई । वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे अपीलान्ट का नाम टुण्डा के स्थान पर जुम्मे खान संशोधित किया जावे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

अपील अपीलान्ट प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 26/04/2024को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)